भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †1385

उत्तर देने की तारीख- 13/02/2025

एससीपी और टीएसपी की तैयारी के लिए दिशानिर्देश

†1385. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधित मंत्रालयों को विशेष घटक योजना (एससीपी) और जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं कि निधि का आबंटन जनसंख्या के प्रतिशत के अनुपात में हो और उक्त राशि का दुरूपयोग न हो तथा उसका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों द्वारा उक्त दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क): जी हाँ, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश योजना आयोग द्वारा 18.06.2014 को जारी किए गए थे। नीति आयोग द्वारा 2017 में बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा डीएपीएसटी/टीएसपी निधियों के निर्धारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

(ख): ऊपर उल्लिखित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र टीएसपी दिशानिर्देश 2014 में कहा गया है कि टीएसपी के अंतर्गत निधियां कुल योजना परिव्यय (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं-ईएपी और किसी अन्य योजना के अंतर्गत निवेश को छोड़कर) से निर्धारित की जानी हैं, जो राज्य में अजजा के जनसंख्या अनुपात से कम नहीं होनी चाहिएं और अजजा आबादी के समस्याग्रस्त हिस्से के अनुरूप होनी चाहिए। इसके अलावा, गैर-विपथन सुनिश्चित करने के लिए, टीएसपी के अंतर्गत निधियों को कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्षों के तहत एक अलग लघु शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा 2017 में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 41 केंद्रीय मंत्रालय/विभाग हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं। उचित लेखांकन और निगरानी के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका किसी अन्य योजना में विपथन (विचलन) न हो, डीएपीएसटी के अंतर्गत आवंटित निधियों को सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके विस्तृत अनुदान मांगों में कार्यात्मक मुख्य शीर्ष/उप-मुख्य शीर्ष के तहत लघु शीर्ष '796' के अंतर्गत दिखाया जाता है।

(ग) और (घ): बाध्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के डीएपीएसटी/टीएसपी निधियों की निगरानी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वेब पते: https://stcmis.gov.in. के साथ एसटीसी एमआईएस पोर्टल विकसित किया है। राज्य टीएसपी की निगरानी के लिए, मंत्रालय ने अक्टूबर 2024 में एक पोर्टल (https://statetsp.tribal.gov.in) लॉन्च किया। इन पोर्टलों पर केंद्रीय और राज्य टीएसपी का विवरण उपलब्ध है।

*****